

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 2488/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

03/01/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/19786/2016 राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के संबंध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 28.11.2017

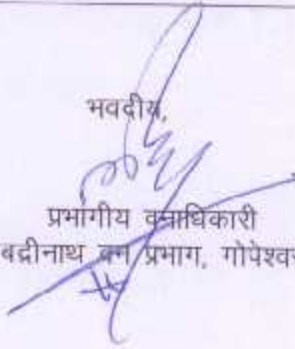
महोदय,

विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर का पत्रांक 1779/1सी (वन) दिनांक 14.12.201 (संलग्न) द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित किया गया है।

क्र० सं०	लगाई गई आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1.	FRA certificate issued by the Deputy Commissioner has not been uploaded at para k of online part-I and the original hard copy of the same has also not been provided in the hard copy of the proposal which is required in the hard copy of the proposal which is required to be uploaded and submitted by the state Govt.	एफ0आर0ए0 हाईकोपी के साथ मूल में प्रेषित किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।
2.	In para-B-2.3, the forest land proposed for diversion has been shown against Niwari, Umrakot (Baidanu), Ulfada, Gharkodi and Silangi village but the proceedings of village level Committed meeting under FRA has been uploaded for gram panchayat Langasu only wherein the names of village Langasu, Niwari, Ulfada and Umrakot are mentioned in para-3 but the proceedings has been signed by the Gram Pradhan of Langasu GP only. However, the attendance sheets of GP Langasu/Niwari, Ulfada/Chamali, Umrakot/Baidanu (Malla khet), Umrakot/Baidanu (Talla khet) and Silangi (Dharkundi) have found uploaded. State Gov. is required to Submit the proceedings of VLC Meeting for Niwari, Umrakot (Baidanu), Ulfada, Gharkodi and Silangi villages and also upload the same at designated place in online Part-I	एफ0आर0ए0 में ग्राम स्तरीय समिति के सभी ग्रामों द्वारा अलग-अलग उपस्थिति दर्ज करायी गयी है। एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न- एफ0आर0ए0 की छायाप्रति (पेज नं० 3 से 11)
3.	The Data given about employment likely to be generated in para-E of online Part-I do not appera to be coorrect which may be review and corrected by the State Govt.	पार्ट-1 के विन्दु संख्या E में employment data संशोधित कर दिया गया है।
4.	It is seen from the CA scheme uploaded at para-L of online Part-I and para-13 online Part-II as Well as the hard copy provided that CA is proposed to be done were 6.18 ha Civil Land in Umrakot Urf Baidanu at estimated cost of Rs. 6,81,683/-, This estimated amount does not appear to be based on the current schedule does not appear to be based on the current schedule rates applicable. Which may be reviewed.	सी0 प्राक्कलन नये दरों से बनाकर पार्ट II के Additional information Sr No-02 में अपलोड कर दिया गया है। की छायाप्रति संलग्न है।

5.	Although, the original hard copy of the GIS software generated geo referenced digital map of the proposed CA area has been provided in the hard copy of the proposal but the scanned copy of the same has not been found uploaded at designate place in online part-I and Part-II instead a map prepared in google earth image has been found uploaded. state Govt. may upload GIS software generated geo referenced digital map of the proposed CA area at designate place in online Part-I and Part-II.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धित जीआईएस0 साफ्टवेयर द्वारा निर्मित नानत्रिज पार्ट-1 कालम संख्या L के बिन्दु संख्या V एवं VI में अपलोड कर दिये गये हैं।
6.	CA site suitability certificate has not been uploaded in part-13 of online Part-II instead some other document has been uploaded. State Gov. is required to upload CA site suitability certificate.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता प्रमाण पत्र पार्ट II के Additional information Sr. No-01 में अपलोड कर दिया गया है। की प्रति संलग्न है।
7.	The number of trees has been mentioned as 230 trees in online Part-II but the number of trees in forest land comes to 219 trees as per details given in the enumeration list provided in the hard copy of the proposal which may be reviewed and corrected.	प्रस्ताव की हार्ड कापी में वृक्षों की सं० 230 है जिसमें 11 वृक्ष बांज के हैं और 219 वृक्ष अन्य प्रजाति के हैं।
8.	Recommendation of DFO has not been uploaded at para-15 of online Part-II.	पार्ट II के Additional information Sr. no-03 में अपलोड किया गया है।
9.	it is seen from the summary of debris disposal provided in Muck Disposal Plan that the quantity of Surplus muck comes to 32370 cum but the capacity of Dumping yards has been mentioned as 11272.08 cum only which is required to be reviewed by the State Govt.	मकडिस्पोजल स्कीम में Summaty of Debris Disposal संसोधित कर Additional Information Details के क्रम संख्या 1 में अपलोड कर दिया गया है एवं संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 प्रभागीय वनसंरक्षक
 बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि हेतु 3.09 हे० ~~ग्राम-उमरीकोट~~

~~उमरीकोट~~ कुल भूमि 6.180 हे० स्थल वृक्षारोपण सर्वथा उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-2.1

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/DK/ROA3/14786/246

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान **बंगाल निवाड़ी क्षेत्र सिलंगी मोटर मार्ग**

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र **उत्तराखण्ड**
- ii) जिला **चमोली**
- iii) वन प्रभाग **बन्नीनाथ वन प्रभाग, गौपेश्वर**
- iv) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) **3.09 है**
- v) वन की कागूनी स्थिति **उत्तराखण्ड वन, वन फंसावट, सिविल वन**
- vi) हरियाली का घनत्व
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए **प्रस्ताव में संलग्न**
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। **वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न**
- ix) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) **नहीं**
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। **नहीं**
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या **नहीं**

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। **प्रस्तावित वन प्रामाण्य न्यूनतम है।**

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। **नहीं**

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. संपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

सैलगन

सैलगन

सैलगन

सैलगन

सैलगन

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालग 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

सैलगन

12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र।
- ii. गांगलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 31-12-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर 462.94 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 497.51 है०

803000 है०
514792 है०

= 218 भाप्रले 126,453 है०

लागू नहीं

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 27/12/16

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम पुन० एन० एम० एम०
प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी न्यायिक प्रभाग गोपेश्वर
(चमौली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

1- परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत लंगसू निवाड़ी सैज सिलंगी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.09 है० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

2- वृक्षारोपण स्थल नाम:- उमराकोट उर्फ बैडाणु सिविल सोयम भूमि।

3- क्षेत्रफल:- 3.09 X 2 = 6.18

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 12360

5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियाँ:- बाँज, तुन, कचनार, आवला, इत्यादि। □

क्र०सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	है०	6.18	115.00	710.70
2	स्थल का सफाई कार्य	है०	6.18	3730.00	23051.40
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी०प्र०है०=31घ०मी०)	है०	6.18	38637.00	238776.66
4	गड्ढा खुदान कार्य(0.30X0.30X0.45) रेंखाकन चूना सहित	सं०	12360	7.95	98262.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	कु०	309 kg	28.00	8652.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	सं०	12360	6.20	76632.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य				
	1- वानस्पतिक चैकडैम:- 8 X 6725=53800	है०			
	2- स्टोन चैकडैम:- (10 है० आधार) 5 X 7540=37700 + 53800= 91500.00	है०	6.18	9150.00	56547.00
			6.18		
8	निरीक्षण बटिया बनाना:-	है०	6.18	915.00	5654.70
	योग प्रथम चरण:-				508286.46
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	झाड़ी कटान (लैण्डाना गाजर घास/काला बांरा)	है०	6.18	1887.00	11661.66
2	गड्ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	सं०	12360	1.42	17551.20
3	पौध दुलान कार्य	सं०	12360	9.00	111240.00
4	पौध रोपण कार्य	सं०	12360	2.77	34237.20
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई मलचिंग कार्य	सं०	12360	1.89	23360.40
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई मलचिंग कार्य	सं०	12360	1.63	20146.80
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	सं०	12360	1.8	22248.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष /रोपण वर्ष)	7 माह	6.18	685	4233.30
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	ल०सं०	L.S.	L.S.	5000.00
	योग द्वितीय चरण:-				249678.56
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०:-				
1	पौधों की लागत	सं०	12360	8.00	98880.00
2	पौध दुलान कार्य	सं०	12360	9.00	111240.00
3	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	सं०	12360	4.40	54384.00
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	सं०	12360	1.95	24102.00
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	सं०	12360	1.63	20146.80
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष	12 माह	6.18 x 12	685.00	50800
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	8000.00
	योग तृतीय चरण:-				367552
	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18X12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग चतुर्थ चरण:-				60800

Slre	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18X12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग पंचम चरण:-				60800
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18 X 12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग षष्ठम चरण:-				60800
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18 X 12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग सप्तम चरण:-				60800
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18 X 12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग अष्टम चरण:-				60800
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18 X 12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग नवम चरण:-				60800
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	है०	6.18 X 12	685.00	50800
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	है०	L.S.	L.S.	10000.00
	योग दसम चरण:-				60800
	कुल योग:-				1551114.62

या 1551115.00

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक— 1779 / 1सी0 (वन)

दिनांक 14/ 12 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय— प्रस्ताव सं० **FP/UK/ROAD/19786/2016** राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत
—सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 28.11.2017
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	FRA certificate issued by the Deputy Commissioner has not been uploaded at para K of online Part-I and the original hard copy of the same has also not been provided in the hard copy of the proposal which is required to be uploaded and submitted by the State Govt.	एफ0आर0ए0 हार्डकॉपी के साथ मूल में प्रेषित किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।
2	In para-B-2.3, the forest land proposed for diversion has been shown against Niwari, Umrakot (Baidanu), Ulfada, Gharkodi and Silangi villages but the proceedings of Village Level Committee Meeting under FRA has been uploaded for Gram Panchayat Langasu only wherein the names of village Langasu, Niwari, Ulfada and Umrakot are mentioned in para-3 but the proceedings has been signed by the Gram Pradhan of Langasu GP only. However, the attendance sheets of GP Langasu/Niwari, Ulfada/Chamali, Umrakot/Baidanu (Malla Khet), Umrakot/Baidanu (Talla Khet) and Silangi (Dharkundi) have been found uploaded. State Govt. is required to submit the proceedings of VLC Meeting for Niwari, Umrakot (Baidanu), Ulfada, Gharkodi and Silangi villages and also upload the same at designated place in online Part-I.	एफ0आर0ए0 में ग्राम स्तरीय समिति के सभी ग्रामों द्वारा अलग-अलग उपस्थिति दर्ज करायी गयी है। एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न— एफ0आर0ए0 की हस्ताक्षर (पें ज नं० 3 से 11)
3	The data given about employment likely to be generated in para-E of online Part-I do not appear to be correct which may be review and corrected by the State Govt.	पार्ट-1 के बिन्दु संख्या E में employment data संशोधित कर दिया गया है।
4	It is seen from the CA scheme uploaded at para-L of online Part-I and para-13 of online Part-II as well as the hard copy provided that CA is proposed to be done were 6.18 ha Civil Land in Umrakot Urf Baidanu at estimated cost of Rs. 6,81,683/- . This estimated amount does not appear to be based on the current schedule rates applicable. Which may be reviewed	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

5	Although, the original hard copy of the GIS software generated geo referenced digital map of the proposed CA area has been provided in the hard copy of the proposal but the scanned copy of the same has not been found uploaded at designate place in online Part-I and Part-II instead a map prepared in google earth image has been found uploaded. State Govt. may upload GIS software generated geo referenced digital map of the proposed CA area at designate place in online Part-I and Part-II.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धित जीआईएस साफ्टवेयर द्वारा निर्मित मानचित्र पार्ट-1 के कालम संख्या L के बिन्दु संख्या V एवं VI में अपलोड कर दिये गये हैं।
6	CA site suitability certificate has not been uploaded in para-13 of online Part-II instead some other document has been uploaded. State Govt. is required to upload CA site suitability certificate.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
7	The number of trees has been mentioned as 230 trees in online Part-II but the number of trees in forest land comes to 219 trees as per details given in the enumeration list provided in the hard copy of the proposal which may be reviewed and corrected.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
8	Recommendation of DFO has not been uploaded at para-15 of online Part-II.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
9	It is seen from the Summary of Debris Disposal provided in Muck Disposal Plan that the quantity of surplus muck comes to 32370 cum but the capacity of Dumping Yards has been mentioned as 11272.08 cum only which is required to be reviewed by the State Govt.	मकडिस्पोजल स्कीम में Summary of Debris Disposal संशोधित कर Additional Informations Details के कम संख्या 1 में अपलोड कर दिया गया है एवं संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न- पृष्ठ नं० 12 एवं 13

संलग्न:- एफओआरएओ की छायाप्रति।

2- मक डिस्पोजल स्कीम में
Summary of Debris Disposal
की छायाप्रति।

पत्रांक

/ 1सी0 (वन)

तददिनांक

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)
14-12-2017

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (तृतीय) अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

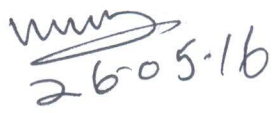
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Sumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 26-05-2016 at time 16.00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 5.680 hect for the construction of motor road “**Langasu-Niwari-Khet-Silangi**” and forest land 3.09 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 26-05-2016


**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

विलासिकारी
चमोली

प्रपत्र-232
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवाणी - खेत -
सिंचणी मो० मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्मप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्मप्रयाग

उपखण्ड कर्मप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवाणी - खेत -
सिंचणी मो० मार्ग का निर्माण (1.78 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.12 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.09 हे० वन भूमि) का
उ० प्र० ल० नि० वि० गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्मप्रयाग) की दिनांक 09.02.2010 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री विवेक प्रकाश, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विवेक प्रकाश उप जिलाधिकारी कर्मप्रयाग उप जिला अधिकारी
- 2- श्री आशा कानू उप प्रभागीय वनाधिकारी कर्मप्रयाग सदस्य
- 3- श्री मोहन सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्मप्रयाग सदस्य/सचिव
- 4- श्री मालवी प्रसाद बी०डी०सी० क्षेत्र कर्मप्रयाग सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवाणी - खेत - सिंचणी मो० मार्ग का
नव निर्माण परियोजना हेतु 3.09 हे० वन
भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गीचर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008

के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~करी प्रयाग~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~लंग्रा - बिबारी - देव - सिता - मो. माग~~ परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि ~~3.0.1~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~करी प्रयाग~~
जनपद ~~चमोली~~

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~चमोली~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~करी प्रयाग~~
जनपद ~~चमोली~~

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगायु से निवाडी-खेत-सिबगी मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लंगायु
तहसील अनापत्ति, जिला अनापत्ति

अनापत्ति प्रमाण पत्र

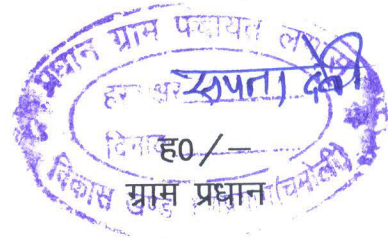
उत्तराखण्ड में जनपद कण्डा के अन्तर्गत लंगायु - निवाडी - खेत - सिबगी परियोजना के निर्माण हेतु (1.780 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.210 हे० सिविल सोयम भूमि 1.10 हे० वन पंचायत भूमि 0.01 हे०) अर्थात् कुल 3.09 हे० वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लंगायु - निवाडी द्वारा दिनांक 03.02.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लंगायु - निवाडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03.02.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत निवाडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहन सिंह नेगी	Mohan Singh
2-	भगत सिंह नेगी	Bhagath
3-	नरेन्द्र सिंह खत्री	नरेन्द्र
4-	मोन्दन सिंह खत्री	Momdon Singh
5-	नरेन्द्र सिंह खत्री	नरेन्द्र सिंह
6-	नारायण सिंह खत्री	नारायण सिंह
7-	भूपेन्द्र सिंह खत्री	Bhependra Singh
8-	कमल सिंह खत्री	कमल सिंह
9-	लक्ष्मण सिंह नेगी	लक्ष्मण सिंह
10-	उमराव सिंह नेगी	उमराव सिंह
11-	विक्रम सिंह खत्री	विक्रम सिंह
12-	कमल सिंह खत्री	कमल सिंह
13-	बाहादुर सिंह	बाहादुर
14-	दलवीर सिंह नेगी	दलवीर
15-	दलवीर सिंह	दलवीर
16-	अनूप सिंह खत्री	अनूप सिंह
17-	अश्वान्त सिंह खत्री	अश्वान्त
18-	अमित खत्री	अमित
19-	हेमन्त खत्री	हेमन्त
20-	राजेश्वर सिंह खत्री	Rajeshwar Singh

ह0/ -
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
समजा देवी
दिनांक
ग्राम पंचायत (चमोली)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03.12.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उल्फाडा - (चमाली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पुष्कर सिंह कठेल	पुष्कर
2-	कमल सिंह कठेल	कमल सिंह
3-	दीवान सिंह कठेल	दीवान
4-	नरेश सिंह कठेल	नरेश
5-	उत्तम सिंह कठेल	उत्तम
6-	विश्वपाल सिंह कठेल	विश्वपाल
7-	रघुनाथ सिंह कठेल	Raella
8-	माधवर सिंह कठेल	माधवर
9-	दिलवर सिंह	दिलवर
10-	संजय सिंह	Sanjay
11-	रमेश सिंह	रमेश
12-		
13-		

ग्राम पंचायत उल्फाडा

ह0/-
ग्राम प्रधान

ग्राम सभा
हस्ताक्षर संजय सिंह
दिनांक: 03.12.16
विस्तृत वर्णप्रमाण (चमाली)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03-01-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अमरकोट (बिडानू), मल्ला सेत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नरेन्द्र प्रसाद सती	Narender
2-	देवेन्द्र सिंह शवत	Devesh
3-	आनन्द सिंह शवत	Anand
4-	योगेन्द्र सिंह शवत	Yogender
5-	कमल सिंह शवत	Kamal
6-	शक्ति सिंह शवत	Shakti
7-	शत्रुघ्न सिंह शवत	Shatrughn
8-	महिपाल सिंह शवत	Mahipal
9-	विजयपाल सिंह शवत	Vijaypal
10-	प्रेम सिंह शवत	Prem
11-	अवतार सिंह शवत	Avatar
12-	सुरेन्द्र सिंह शवत	Suresh
13-	गजे सिंह शवत	Gajesh
14-	सनेन्द्र सिंह शवत	Saneender

ह0 / -
ग्राम प्रधान

(Signature: Rajesh)

ह0 / -
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०३/०२/१६ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उमरकोट सिंगर (तब्बा खेत)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सुहृदीर सिंह नेगी	सुहृदीर
2-	शम्बर सिंह नेगी	शम्बर
3-	रमेश सिंह नेगी	Ramesh
4-	हरिन्द्र सिंह नेगी	Harinder
5-	गोपाल सिंह नेगी	Gopal
6-	माधो सिंह नेगी	Madhusingh
7-	सुदीप सिंह नेगी	Sudeep
8-	शम्बर सिंह नेगी	Shamber
9-	बाहादुर सिंह नेगी	Bahadur
10-	कुन्दन सिंह नेगी	Kundan
11-	कमल सिंह शवत	Kamal
12-		

हस्ताक्षर
दिनांक ०३/०२/१६
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03/04/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिलंगी (घरमुंदा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुन्दन सिंह चौहान	कुन्दन सिंह
2-	आलम सिंह चौहान	आलम
3-	राजजीत सिंह चौहान	राजजीत सिंह
4-	देव सिंह पुकार	देव सिंह
5-	वीर सिंह पुकार	वीर सिंह
6-	जमवीर सिंह चौहान	जमवीर सिंह
7-	मोहन सिंह पुकार	मोहन सिंह
8-	धर्म सिंह पुकार	धर्म सिंह
9-	दयाल सिंह बिह	दयाल सिंह
10-	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र
11-	हरि सिंह	हरि
12-	दरवान सिंह पुकार	दरवान
13-	बलवीर सिंह पुकार	बलवीर
14-	पुकर सिंह	पुकर सिंह
15-		



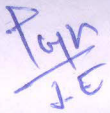
Detail of muck disposal yards with land owner detail

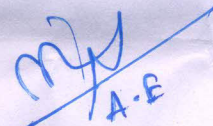
S.No.	Chainage	Name of Land owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sqm)	Longitude	Latitude
1	0/4-0/6	VAN PANCHYIT	0.020	200	200	79°17'23.81"	30°17'26.55"
2	0/30-0/32	NAAP LAND	0.020	200	200	79°17'22.76"	30°17'22.67"
3	1/10-1/12	NAAP LAND	0.020	200	200	79°17'19.97"	30°17'20.64"
4	2/27-2/29	VAN PANCHYIT	0.030	300	300	79°17'44.96"	30°17'14.34"
5	4/6-4/8	NAAP LAND	0.025	250	250	79°17'31.76"	30°17'13.00"
6	4/35-4/37	VAN PANCHYIT	0.030	300	300	79°17'37.73"	30°16'57.51"
7	4/38-4/40	VAN PANCHYIT	0.020	200	200	79°17'37.44"	30°17'51.61"
8	6/2-6/4	NAAP LAND	0.035	350	350	79°18'3.72"	30°16'39.68"
9	6/35-6/37	RESRVE FOREST	0.030	300	300	79°17'45.20"	30°16'23.43"
10	7/16-7/18	RESRVE FOREST	0.020	200	200	79°17'52.55"	30°16'7.69"
Total			0.250	2500.00	2500.00		

Summary

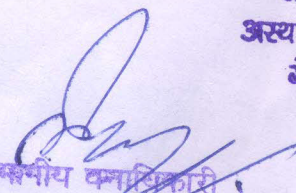
S.No.	Chainage	Name of Land owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sqm)	Longitude	Latitude
1	0/4-0/6	VAN PANCHYIT	0.020	200	200	79°17'23.81"	30°17'26.55"


 वन क्षेत्राधिकारी
 नन्दप्रयाग रेंज
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


 J-E


 A-E
 सहायक अभियन्ता
 अस्थाई खा लो०नि०वि०
 गौचर (कमोली)


 अधिकारी अभियन्ता
 अस्थाई खा लो०नि०वि०
 गौचर


 प्रमुख वन अधिकारी
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 (कमोली)

Construction of Langasu-Niwari-Khet-Silangi Motor Road

S.No.	Material received from hill side cutting	Quantity	Unit
	1/2(7900 X 3 X 3)	35550	cum.
	40% for swell factor	14220	cum.
	Total	49770	cum.

Disposal and use of material

1	R.R. stone masonry laid in 1:5	7000	cum.
2	R.R. stone masonry laid in dry	7000	cum.
3	Hand packed stone filling	4500	cum.
4	Construction of wire crate	3500	cum.
5	Construction of parapet	3000	cum.
6	Granular sub base/ base surface	6000	cum.
7	Total used	31000.00	cum.
8	Material Disposal by cartage in dumping yard	18770.00	cum.

Location and Quantity of Dabries Disposal

S.No.	Location of Dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	Capacity of dumping yard (cum)
1	0/4-0/6	40*5*7.5	VAN PANCHYIT	1500.00
2	0/30-0/32	20*10*6	NAAP LAND	1200.00
3	1/10-1/12	40*5*6.5	NAAP LAND	1300.00
4	2/27-2/29	50*6*8.5	VAN PANCHYIT	2550.00
5	4/6-4/8	50*5*6	NAAP LAND	1500.00
6	4/35-4/37	50*6*8.5	VAN PANCHYIT	2550.00
7	4/38-4/40	40*5*8.5	VAN PANCHYIT	1700.00
8	6/2-6/4	70*5*7.5	NAAP LAND	2625.00
9	6/35-6/37	60*5*8.5	RESRVE FOREST	2550.00
10	7/16-7/18	40*5*8.5	RESRVE FOREST	1700.00
	TOTAL			19175.00

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by cartage	Refused material for road construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	49770	18770.00	31000.00	18770.00	0.00

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बदीनाथ वन प्रभाग गौधर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई नो. 0/नि. 0/वि. 0
गौधर (चमोली)

अभिियन्ता
अस्थाई खण्ड लो. 0/नि. 0/वि. 0
गौधर

प्रमुखीय कर्मचारी
बदीनाथ वन प्रभाग गौधर
(चमोली)